झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001

प्रेस विज्ञप्ति

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, दन्त विभाग (Dentistry) के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा, विज्ञापन सं0–03/2019 के संबंध में आवश्यक सूचना।

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, दन्त विभाग (Dentistry) के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन सं0–03/2019) हेतु दिनांक–27.09.2019 को आयोजित साक्षात्कार अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया जाता है।

2. साक्षात्कार की सूचना बाद में दी जायेगी।

3. आयोग द्वारा लिए गये निर्णयानुसार दिनांक–06.07.2019 एवं दिनांक–07.07.2019 को दन्त विभाग के लिए निर्धारित अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों के लिए पुनः अभिलेख सत्यापन दिनांक–27.09.2019 को निर्धारित किया गया है। अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम एवं अभ्यर्थियों से संबंधित विवरणी आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

4. यह प्रेस विज्ञप्ति आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर अपलोड रहेगा।

ह0/–
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।

झारखण्ड लोक सेवा आयोग
सर्कुलर रोड, रांची–834001

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, दन्त विभाग (Dentistry) के पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा, विज्ञापन सं0–03/2019 के संबंध में आवश्यक सूचना।

अभिलेख सत्यापन का कार्यक्रम की तिथि एवं पूर्ण विवरणी निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	पद का नाम	अभिलेख सत्यापन की तिथि	अभिलेख सत्यापन का समय	अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन नम्बर
01	दन्त विभाग (Dentistry)	27.09.2019	पूर्वाह्न 10:00 बजे	19030057, 19030096, 19030209, 19030413, 19030424, 19030445, 19030667, 19030698, 19030715, 19030786, 19030826, 19030828, 19030905, 19030973, 19031021, 19031083, 19031085, 19031096, 19031123, 19031180.

2. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थी निर्धारित कार्यक्रमानुसार पूर्वाह्न–10:00 बजे आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

3. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र (Call Letter) डाक द्वारा नहीं भेजे जायेंगे।

4. अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में अंकित प्रविष्टि एवं तदनुसार समर्पित प्रमाण पत्रों के अनुरूप निम्न प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति 02 (दो) सेटों में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:–

(i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(ii) भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0 डिग्री का प्रमाण पत्र एवं सभी वर्षों का अंक पत्र।

(iii) भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री यथा–एम0डी0, एम0एस0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री का प्रमाण पत्र, सभी वर्षों का अंक पत्र एवं उसी स्पेशलिटी में पी0एच0डी0, डी0एम0, एम0सी0एच0 प्रमाण पत्र।

(iv) भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों सें संबंधित विषयों में 03 (तीन) वर्षों का जूनियर रेजिडेन्ट एवं 01(एक) वर्ष का सीनियर रेजिडेन्ट संबंधी प्रमाण पत्र।

(v) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव प्रमाण पत्र।

(vi) जर्नल्स (झारखण्ड स्टेट मेडिकल जर्नल/ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल या किसी विदेशी मेडिकल जर्नल) में मुख्य लेखक के रूप में संबंधित विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ जर्नल्स की प्रति।

(vii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन संख्या–03/2019 में दिये गये निदेश के अनुरूप विहित प्रपत्रों में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रति समर्पित करना होगा। झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु विज्ञापन में दिये गये निदेश के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा। विज्ञापन में निर्देशित प्रमाण पत्र से अलग जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

झारखण्ड राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(viii) निःशक्त (Physically handicapped) जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों उन्हें विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(ix) अनापत्ति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग कार्यरत् चिकित्सकों के लिए अनिवार्य)।

(x) दो पासपोर्ट साईज का रंगीन अद्यतन फोटोग्राफ।

(xi) अभिलेख सत्यापन के दौरान उक्त कंडिकाओं में उल्लेखित सभी प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

कृ0पृ0उ0

5. अभिलेख सत्यापन हेतु अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी।

ह0/—
परीक्षा नियंत्रक,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग,राँची।